क्रमांक 32/352/88-जी0एस0 I

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में,

सभी वित्तायुक्त, आयुक्त एवं प्रशासकीय सचिव,
हरियाणा सरकार, चण्डीगढ़ ।

दिनांक चण्डीगढ़, 2 जून 1989

विषय :—50/55 वर्ष की आयु के बाद सेवा में वृद्धि प्रदान करना—केसों को भेजने में अनावश्यक विलम्ब को रोकना ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे आपका ध्यान इस विभाग द्वारा जारी किये गये पत्र क्रमांक 32/342/87-जी0एस0-I, दिनांक 10 नवम्बर, 1987 की ओर दिलाने तथा यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र में निहित हिदायतों के अनुसार अधिकारी समिति में रखे जाने वाले केसों में ज्ञापन प्रशासकीय विभाग द्वारा स्वयं बनाये जाने चाहिएं तथा सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर करवाये जाने चाहियें । परन्तु यह देखने में आया है कि इन हिदायतों की पालना नहीं की जा रही है जिसके कारण 50/55 वर्ष की आयु के बाद सेवा में वृद्धि प्रदान करने वाले केसों को अधिकारी समिति में रखने में विलम्ब होता है ।

2. इसलिए पुनः अनुरोध किया जाता है कि उस पत्र में निहित सभी शर्तों की कड़ाई से पालना की जाये ताकि भविष्य में अधिकारी समिति में प्रस्तुत किये जाने वाले केसों में प्रशासकीय विभाग के स्तर पर सचिवालय में विलम्ब न हो ।

कृपया इस हिदायत को सभी सम्बन्धित के ध्यान में ला देवें ।

भवदीय,
हस्ता/-
अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

क्रमांक 32/352/88-जी.सी. I, दिनांक चण्डीगढ़, 2 जून, 1989.

एक प्रति हरियाणा सरकार के सभी विभागाध्यक्षों को सूचनार्थ एवं आगामी कार्यवाही के लिये भेजी जाती है ।

हस्ता/-
अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग,
कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार